वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 33
राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	99491.50	1.14	99492.64	180941.26	8.44	180949.70	119388.75	8.21	119396.96	203458.00	8.73	203466.73
वसूलियां	*-41192.65*	*...*	*-41192.65*	*-90063.26*	*...*	*-90063.26*	*-66804.55*	*...*	*-66804.55*	*-101268.39*	*...*	*-101268.39*
प्राप्तियां	*-182.65*	*...*	*-182.65*	*-150.00*	*...*	*-150.00*	*-150.00*	*...*	*-150.00*	*-150.00*	*...*	*-150.00*
निवल	**58116.20**	**1.14**	**58117.34**	**90728.00**	**8.44**	**90736.44**	**52434.20**	**8.21**	**52442.41**	**102039.61**	**8.73**	**102048.34**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	275.60	...	275.60	317.41	...	317.41	326.81	...	326.81	367.31	...	367.31
2. मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
3. प्रवर्तन निदेशालय	162.94	...	162.94	165.14	...	165.14	212.11	...	212.11	234.54	...	234.54
4. स्वापक नियंत्रण	35.68	...	35.68	31.78	...	31.78	33.22	...	33.22	35.96	...	35.96
5. विशेष जांच दल	2.45	...	2.45	2.76	...	2.76	3.17	...	3.17	2.46	...	2.46
6. वास्तविक वसूलियां	-46.06	...	-46.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**430.61**	**...**	**430.61**	**517.10**	**...**	**517.10**	**575.31**	**...**	**575.31**	**640.28**	**...**	**640.28**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	9.12	...	9.12	12.72	...	12.72	9.60	...	9.60	12.00	...	12.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश	...	...	...	...	...	...	...	2.55	2.55	...	0.01	0.01
अन्य												
9. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	5.15	...	5.15	6.37	...	6.37	14.34	...	14.34	7.79	...	7.79
10. अन्य व्यय	36.58	...	36.58	40.62	...	40.62	51.41	...	51.41	50.40	...	50.40
11. अफीम एवं क्षारोध कारखाना												
11.01 अफीम और क्षारोद कारखानों में कार्यशील व्यय	286.60	...	286.60	300.91	...	300.91	198.29	...	198.29	278.87	...	278.87
11.02 घटाएं राजस्व प्राप्ति	-182.65	...	-182.65	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00
11.03 अफीम और क्षारोद कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	1.14	1.14	...	5.65	5.65	...	5.65	5.65	...	5.71	5.71
जोड़- अफीम एवं क्षारोध कारखाना	*103.95*	*1.14*	*105.09*	*150.91*	*5.65*	*156.56*	*48.29*	*5.65*	*53.94*	*128.87*	*5.71*	*134.58*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
13. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	...	...	...	...	2.79	2.79	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
14. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
जोड़-अन्य	**145.90**	**1.14**	**147.04**	**198.15**	**8.44**	**206.59**	**114.29**	**5.66**	**119.95**	**187.31**	**8.72**	**196.03**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**155.02**	**1.14**	**156.16**	**210.87**	**8.44**	**219.31**	**123.89**	**8.21**	**132.10**	**199.31**	**8.73**	**208.04**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
15. वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
16. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	1384.57	...	1384.57	0.02	...	0.02	...	...	...	0.01	...	0.01
17. जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण	56146.00	...	56146.00	90000.00	...	90000.00	51735.00	...	51735.00	101200.00	...	101200.00
18. जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति	41146.00	...	41146.00	90000.00	...	90000.00	66735.00	...	66735.00	101200.00	...	101200.00
19. जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि	-41146.00	...	-41146.00	-90000.00	...	-90000.00	-66735.00	...	-66735.00	-101200.00	...	-101200.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**57530.57**	**...**	**57530.57**	**90000.03**	**...**	**90000.03**	**51735.00**	**...**	**51735.00**	**101200.02**	**...**	**101200.02**
कुल जोड़	***58116.20***	***1.14***	***58117.34***	***90728.00***	***8.44***	***90736.44***	***52434.20***	***8.21***	***52442.41***	***102039.61***	***8.73***	***102048.34***
ख. विकासात्मकशीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
2. अन्य राजकोषीय सेवाएं	209.82	...	209.82	219.82	...	219.82	275.73	...	275.73	299.70	...	299.70
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	275.58	...	275.58	317.42	...	317.42	326.81	...	326.81	367.32	...	367.32
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	34.17	...	34.17	39.57	...	39.57	48.12	...	48.12	43.45	...	43.45
5. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	2.55	2.55	...	0.01	0.01
6. लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	2.79	2.79	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	**519.79**	**...**	**519.79**	**577.06**	**2.79**	**579.85**	**650.91**	**2.56**	**653.47**	**710.72**	**0.02**	**710.74**
सामाजिक सेवाएं												
7. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**3.00**	**3.00**
आर्थिक सेवाएं												
8. अन्य उद्योग	65.84	...	65.84	150.91	...	150.91	48.29	...	48.29	128.87	...	128.87
9. अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	1.14	1.14	...	5.65	5.65	...	5.65	5.65	...	5.71	5.71
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**65.84**	**1.14**	**66.98**	**150.91**	**5.65**	**156.56**	**48.29**	**5.65**	**53.94**	**128.87**	**5.71**	**134.58**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	57040.57	...	57040.57	87500.02	...	87500.02	47235.00	...	47235.00	96000.01	...	96000.01
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	490.00	...	490.00	2500.01	...	2500.01	4500.00	...	4500.00	5200.01	...	5200.01
जोड़-अन्य	**57530.57**	**...**	**57530.57**	**90000.03**	**...**	**90000.03**	**51735.00**	**...**	**51735.00**	**101200.02**	**...**	**101200.02**
कुल जोड़	**58116.20**	**1.14**	**58117.34**	**90728.00**	**8.44**	**90736.44**	**52434.20**	**8.21**	**52442.41**	**102039.61**	**8.73**	**102048.34**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. जीएसटीएन एसपीवी मेंं निवेश	...	...	...	...	...	...	2.55	...	2.55	0.01	...	0.01
जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**2.55**	**...**	**2.55**	**0.01**	**...**	**0.01**

1. **सचिवालय:** टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **मूल्य वर्द्धित कर (वैट) स्कीम का क्रियान्वयन:** मूल्य वर्द्धित कर (वैट) को अपनाने के उद्देश्य से विशेष श्रेणी के राज्यों और नए सृजित राज्यों से संबंधित बिक्री कर विभागों के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।

4. **स्वापक नियत्रंण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और औषध दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5. **विशेष जांच दल:** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।

8. **जीएसटीएन-एसपीवी में निवेश:** माल एवं सेवा कर नेटवर्क विशेष प्रयोजन व्यवस्था में 25.5 प्रतिशत शेयर की खरीद का प्रावधान है।

9. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रंशात समूह, एग्मोंनट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।

10. **अन्य व्यय:** इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपील अधिकरण, सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टैट) और धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

11. **अफीम एवं क्षारोध कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोध कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल होती है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रोसेसिंग एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।

12. **राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन समिति:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण संवर्द्धन राष्ट्रीय समिति के व्यय को पूरा करने के लिए है।

13. **लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए है।

14. **आवास पर पूंजीगत परिव्यय:** प्रर्वतन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।

15. **वैट को लाने एवं वैट से संबंधित व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** प्रावधान वैट और वैट संबंधी व्यय के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को मुआवजे के लिए है।

16. **केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति:** यह प्रावधान केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु है।

17. **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण:** जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 के अंतर्गत भारतीय समेकित निधि में संग्रहित कर से जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि, जो एक भारतीय सार्वजनिक लेखा है, में हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

18. **जीएसटी को लागू करने पर होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति:** जीएसटी के लागू होने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए यह प्रावधान रखा गया है।

19. **जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पूरी की गई राशि:** यह प्रावधान राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को राजस्व हानियों के मुआवजे के लिए है, क्योंकि माल और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को जीएसटी मुआवजा उपकर कोष से पूरा किया जाना है।